भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 3140
गुरुवार, 18 दिसम्बर, 2025/27 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

घरेलू एमआरओ अवसंरचना का विस्तार

3140. श्री के. ई. प्रकाशः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि हमारा देश विदेशी रख-रखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) सुविधाओं पर अत्यधिक निर्भर बना हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा का काफी बहिर्वाह होता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का उक्त निर्भरता को कम करने के लिए घरेलू एमआरओ अवसंरचना का विस्तार करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो भविष्य में देश के एमआरओ पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए प्रस्तावित समय-सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

)क) से)ग(: औद्योगिक अनुमानों के अनुसार, भारत में नागर विमानन क्षेत्र के अधिकांश रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल)एमआरओ(कार्य विदेशों में मूल उपकरण विनिर्माताओं)ओईएम(द्वारा प्रमाणित केंद्रों में किया जाता है। विदेशी एमआरओ सुविधाओं पर निर्भरता को कम करने के लिए, सरकार ने देश में विमान एमआरओ क्षेत्र के विकास के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाने हेतु सक्रिय रूप से विभिन्न उपाय किए हैं और यह एक सतत प्रक्रिया है। उठाए गए कदमों में दिनांक 1 सितंबर, 2021 को घोषित नए एमआरओ दिशानिर्देश शामिल हैं, जो अन्य बातों के साथ-साथ रॉयल्टी को समाप्त करते हैं और एएआई हवाईअड्डों में एमआरओ के लिए भूमि आवंटन में पारदर्शिता और निश्चितता को सुनिश्चित करते हैं। विगत हाल में, एमआरओ सेवाओं के उद्देश्य से आने वाली अनुसूचित या गैर-अनुसूचित उड़ानों के विदेशी पायलटों और चालक दल को व्यापार वीज़ा और अस्थायी लैंडिंग परमिट)टीएलपी(देने के लिए उपयुक्त प्रावधानों को शामिल करने हेतु वीज़ा मैनुअल में संशोधन किया गया है। सरकार ने विमान घटकों और विमान ईंजन कलपुर्जों के आयात पर करों)आईजीएसटी(को घटाकर 5% कर दिया है। मरम्मत के लिए आयातित वस्तुओं के निर्यात की अवधि को छह महीने से बढ़ाकर एक वर्ष कर दिया गया है और वारंटी के तहत मरम्मत के लिए वस्तुओं के पुनः आयात की समय-सीमा को तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष कर दिया गया है।

*****